

18-3
25

यकील डिडीएल उपर नएलीलपर मनिपां के 37की
रिपोर्ट दिनांक 10/02/25 से न्यायालय अधीन RAA
भलपुर के आदेशांक 374 दिनांक 19/11/2023
से स्थगक होना बताया है।

न्यायालय अधीन नए-खस अफवाकी
पदेन शासक अधील साधिकारी, भलपुर का स्थगक
होने के कारण डिडी के पालना संभव नहीं है। अतः
पत्रावली में कार्यवाही जारी कर पट निराला की
जाती है। पत्रावली में पल सुधार होकर गमत
से कम हो। हाथ पालना साधिकल 4पल हो।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (सज्ज)